

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढा

पील संख्या 38/19

तारीख रज्जू- 16/09/19

हरफूल पुत्र नानगा जाति मीणा उम्र 62 साल पेशा काशत निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाड़ा।

—अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा।

—रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 30.9.19.

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का द्वारा मिसल संख्या 123/15 में पारित निर्णय दिनांक 26/10/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भगवतगढ के आराजी ख0नं0 3705 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0पाल सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थादण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन पक्ष संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत द्वारा खिलाफ कानून व क़येदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया जाय। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्त का कोई कब्जा काशत नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस में भी अपीलान्त के अतिक्रमण के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी को अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अनिष्ठा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये निर्णय के संबंध में सुदृढ साक्ष्य या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलार्थी को कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुदृढ अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुदृढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया अपीलार्थी को कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश शास्ति व बेदखली अपीलार्थी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर